

भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०-30/2018-19

आदेश की तिथि	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
24.05.2018	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, आनन्दपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, आनन्दपुर को स्मारित करें। अगली तिथि 20.06.19 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 20.06.18 को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;"><i>Amu</i> 24.5.18 भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।</p>	
20.06.2018	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, आनन्दपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, आनन्दपुर को स्मारित करें। अगली तिथि 20.07.18 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 20.07.18 को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;"><i>Amu</i> 20.6.18 भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।</p>	
20.07.2018	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, आनन्दपुर के पत्रांक 171 दिनांक 12.06.2018 द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 16.07.2018 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, आनन्दपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक श्री बहालेन कन्दुलना, पिता-स्व० जुनास कन्दुलना, जाति-मुण्डा (अ.ज.जा.) ग्राम-बान्दुनासा, पो०-राईकेरा, थाना-आनन्दपुर, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प) प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा-बान्दुनासा, थाना नं०-115, खाता नं० 69, प्लॉट नं० क्रमशः 342/अंश, रकवा:-0.62 ए०, क्रेता श्री मार्शल कन्दुलना, पिता-स्व० डूचा मुण्डा, ग्राम-बान्दुनासा, पो०-राईकेरा, जाति-मुण्डा (अ.ज.जा.), थाना-आनन्दपुर, जिला प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया।</p> <p>जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक श्री बहालेन कन्दुलना, पिता-स्व० जुनास कन्दुलना, जाति-मुण्डा (अ.ज.जा.) ग्राम-बान्दुनासा, पो०-राईकेरा, थाना-आनन्दपुर, जिला प० सिंहभूम के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। आम इश्तेहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।</p> <p>बिक्रेता एवं क्रेता थाना-आनन्दपुर, जिला-प० सिंहभूम चाईबासा के निवासी हैं। बिक्रेता एवं क्रेता का दोनों का जाति मुण्डा (अ.ज.जा.), समुदाय के सदस्य हैं।</p> <p>बिक्रेता उक्त वर्णित भूमि चिकित्सा हेतु बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि के बिक्री के पश्चात बिक्रेता को आनन्दपुर अंचल अंतर्गत रकवा 3.48 ए० अवशेष भूमि बचता है। अंचल अधिकारी, आनन्दपुर द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन क्रेता श्री मार्शल कन्दुलना, पिता-स्व० डूचा मुण्डा, ग्राम-बान्दुनासा, पो०-राईकेरा, जाति-मुण्डा (अ.ज.जा.), थाना-आनन्दपुर, जिला प० सिंहभूम को उक्त भूमि बेचने की स्वीकृति छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत दी जाती है।</p> <p>आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध कराये।</p> <p style="text-align: right;"><i>Amu</i> 20.7.18 भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।</p>	